Speed Post

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. DSC/3/2015/MINB1/SEOTH/RU-III

6th floor, B Wing Loknayak Bhawan,
Khan Market,
New Delhi-110003
Dated:04-12- 2017

To,

1. The Secretary,
Ministry of Information & Broadcasting,
Shastri Bhawan,
New Delhi-110001

2. The Secretary,
Department of Personnel & Training,
North Block, Central Secretariat,
New Delhi-110001

3. The Director General,
All India Radio,
Akashvani Bhavan,
Parliament Street, New Delhi 110001

Sub Representation dated 20.08.2015 of Shri D.S. Chauhan, Kingsway Camp, Delhi regarding harassment and discrimination on the ground of caste in AIR.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of Proceeding of the Sitting taken by Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson, NCST on 30.11.2017 for information and urgent necessary action.

It is requested that action taken in this regard may be submitted to this Commission within months' time.

Yours faithfully,

D S Kumbhare 4/12/2017

(D.S. Kumbhare)

Under Secretary Govt. of India

Copy for information and necessary action to:

1. Shri D.S. Chauhan, Dy. Director (Prog) National Channel AIR, Todapur, Delhi-110012
2. NIC, NCST uploaded on the web site.

Tel.:011-24657271, 011-24615012, 011-24624714, Fax: 011-24604689, 011-24624191

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- DSC/3/2015/MINB 1/SEOTH/RU-III)

श्री डी. एस. चौहान, उप निदेशक (कार्यक्रम), राष्ट्रीय प्रसारण सेवा, आकाशवाणी के द्वारा आरक्षण इत्यादि में जातीय आधार पर भेदभाव व उत्पीडन के मामले में आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 30.11.2017 को आयोग में आयोजित सीटिंग का कार्यवृत.

बैठक की तिथि : 30.11.2017

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट 'क'

---

1. श्री डी. एस. चौहान, उप निदेशक (कार्यक्रम), राष्ट्रीय प्रसारण सेवा, आकाशवाणी ने आकाशवाणी के द्वारा आरक्षण इत्यादि में जातीय आधार पर भेदभाव व उत्पीडन के मामले में दिनांक 04.09.2015 को आयोग में अभ्यावेदन देकर न्याय दिलाने का निवेदन किया. अभ्यावेदन में अभ्यावेदक ने लिखा है कि उनकी नियुक्ति 1988 में कार्यक्रम पालक पद पर हुई थी. उसके उपरान्त 13 वर्ष तक उन्हें सहायक स्टेशन निदेशक के पद पर तदर्थ आधार पद पर पदोन्नत किया गया था तथा सहायक स्टेशन के पद पर सेवा को नियमित किये बिना ही उप निदेशक कार्यक्रम के पद पर तदर्थ आधार पर वर्ष 2014 में पदोन्नत कर दिया गया. उन्होंने बताया कि विगत 28 वर्षों में उन्हें एक भी नियमित पदोन्नति नही दी गई है. साथ ही विभागीय भर्ती एवं रोस्टर नियमों का विभाग में पालन नही किया जा रहा है.
2. अभ्यावेदक के मामले में माननीय अध्यक्ष द्वारा महानिदेशक, आकाशवाणी के साथ दिनांक 01.07.2016 को चर्चा की गई थी. जिसमे आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं पर कृत कार्यवाई के अनुसरण में दिनांक 09.06.2017 को माननीय उपाध्यक्ष ने सचिव, सूचना प्रसारण मंत्रालय; सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, तथा महानिदेशक, आकाशवाणी को चर्चा के लिए आयोग में बुलाया. इस बैठक में आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के पश्चात मामले में अभ्यावेदक ने आयोग में पुनः निवेदन किया जिसके आलोक में आयोग ने दिनांक 30.11.2017 को सचिव, सूचना प्रसारण मंत्रालय; सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, तथा महानिदेशक, आकाशवाणी को चर्चा के लिए आयोग में बुलाया. आयोग में चर्चा के लिए कार्मिक

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

एवं प्रशिक्षण विभाग के अधिकारी श्री ज्ञानेंद्र त्रिपाठी, संयुक्त सचिव श्री जी. श्रीनिवासन, उप सचिव; सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी श्रीमती अंजू निगम, संयुक्त सचिव श्रीमती हरचरण कौर, उप सचिव तथा ऑल इंडिया रेडियो के अधिकारी श्री सत्यजीत मिश्रा, एडीजी (ए), श्री शैलेन्द्र कुमार, एडीजी उपस्थित हुए.

3. आयोग ने अभ्यावेदक श्री डी. एस. चौहान को मामले में अपना पक्ष रखने को कहा. श्री चौहान ने आयोग को अवगत कराया कि उनकी नियुक्ति 1988 में कार्यक्रम पालक पद पर हुई थी. उसके उपरान्त 13 वर्ष उन्हें सहायक स्टेशन निदेशक के पद पर तदर्थ आधार पद पर उन्नत किया गया था तथा सहायक स्टेशन के पद पर सेवा को नियमित किये बिना ही उप निदेशक कार्यक्रम के पद पर तदर्थ आधार पर वर्ष 2014 में पद उन्नत कर दिया गया. उन्होंने बताया कि विगत 28 वर्षों में उन्हें एक भी नियमित पदोन्नति नही दी गई है. साथ ही विभागीय भर्ती एवं रोस्टर नियमों का विभाग में पालन नही किया जा रहा है. उन्होंने आगे यह बताया कि भारतीय प्रसारण कार्यक्रम सेवा (आइबीपीएस) जिसका गठन 05 जून 1990 में हुआ था तब से लेकर आज तक नियमानुसार जूनियर टाइम स्केल में आज तक कोई आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है और रोस्टर के सभी पद अन्य वर्ग के अनारक्षित लोगों द्वारा भरे गए है.
4. आयोग ने उपस्थित अधिकारियों से इस मामले में आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं के अनुपालन में की गई कार्यवाई के विषय में जानना चाहा. ऑल इंडिया रेडियो के अधिकारी एडीजी (ए), और एडीजी ने आयोग को अवगत कराया कि इस मामले में 1990 से 1993 तक के लिए डीपीसी का निर्माण किया जा चुका है और इसका परीक्षण विषय विशेषज्ञों से भी कराया जा चुका है. उन्होंने आगे आयोग को अवगत कराया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार 1997 के बाद से संघ लोक सेवा आयोग के बजाय प्रसार भारती को पदोन्नति की जिम्मेदारी दी गई है. इसके पश्चात् व्यस्थागत कमियों के कारण डीपीसी में देरी हुई है. यही वजह है कि पिछले 25 वर्षों से विभाग के करीब 27 हजार कर्मचारियों की नियमित पदोन्नति रुकी हुई है. किन्तु इसके साथ ही विभाग रोस्टर की विसंगतियों को सुधारने के लिए भी तत्परता से कार्य कर रहा है.
5. आयोग ने मामले में संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से उनका पक्ष जानना चाहा जिस पर संयुक्त सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने आयोग को अवगत कराया कि विभाग और मंत्रालय द्वारा इस सन्दर्भ में स्पष्ट बिन्दुओं का

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

उल्लेख करते हुए स्पष्टीकरण माँगा जाता है तब कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग इस विषय पर अपना सपष्टीकरण देगा.

6. सभी पक्षों को सुनने और दस्तावेजों का परीक्षण कर आयोग ने यह पाया कि विभागीय स्तर पर डीपीसी गठन में लापरवाही बरती गई है. साथ ही आयोग इस बात को गंभीरता से ले रहा है कि कई वर्षों से विभागीय पदोन्नति रोक कर अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के साथ अन्याय किया जा रहा है. इस सन्दर्भ में आयोग यह अनुशंसा करता है कि विभाग और मंत्रालय अपने स्तर से शीघ्र कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से उन तकनीकी मुद्दों पर स्पष्टीकरण प्राप्त करें जिसके कारण यह मामला लंबित है. साथ ही रोस्टर की विसंगतियों को भी तत्काल दूर करने के लिए एक समिति का गठन करें और समिति द्वारा जांच/परीक्षण करा कर इसे ठीक किया जाय. आयोग यह अनुशंसा करता है कि इस सम्बन्ध में प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए सभी अधिकारी दिनांक 13.12.2017 को आयोग में उपस्थित हों.

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट- क

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F.No.- DSC/3/2015/MINB 1/SEOTH/RU-III)

श्री डी. एस. चौहान, उप निदेशक (कार्यक्रम), राष्ट्रीय प्रसारण सेवा, आकाशवाणी के द्वारा आरक्षण इत्यादि में जातीय आधार पर भेदभाव व उत्पीडन के मामले में आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन पर सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 30.11.2017 को आयोग में आयोजित सीटिंग में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची-

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसुईया ऊइके, माननीय उपाध्यक्ष
2. श्री एस. के. राठो, संयुक्त सचिव
3. श्री गौरव कुमार, उपाध्यक्ष के निजी सचिव
4. श्री डी.सी.कटोच, परामर्शक

डी. ओ. पी. टी. के अधिकारी

1. श्री ज्ञानेंद्र त्रिपाठी, संयुक्त सचिव
2. श्री जी. श्रीनिवासन, उप सचिव

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी

1. श्रीमती अंजू निगम, संयुक्त सचिव
2. श्रीमती हरचरण कौर, उप सचिव

ऑल इंडिया रेडियो के अधिकारी

1. श्री सत्यजीत मिश्रा, एडीजी (ए)
2. श्री शैलेन्द्र कुमार, एडीजी

अभ्यावेदक

1. श्री डी. एस. चौहान